न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :–92/2016

निर्णय दिनांकः–24.01..2019

उनवान

रामप्यारी पत्नि हरिराम जाति बैरवा निवासी खण्डवा तहसील निवाई

–प्रार्थी

बनाम

1. हंसराज पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी थली की ढाणी ग्राम खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक
2. कालू पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी थली की ढाणी ग्राम खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक
3. कैलाशी बेवा गोपाल जाति मीणा निवासी थली की ढाणी ग्राम खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक
4. तहसीदार निवाई

–प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र ऑर्डर 39 नियम 1 व 2ए एवं
सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत् हुक्म उदूली(अवमानना)

उपस्थितः– श्री रामावतार शर्मा वकील प्रार्थी

<u>निर्णय</u>

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 166/15 रकबा 2–00 बीघा वाके ग्राम खण्डवा में स्थित है। अप्रार्थीगण की दखलन्दाजी के कारण प्रार्थीया ने एक वाद मान्य न्यायालय हाजा में मुकदमा नम्बर 66/13 रामप्यारी बनाम हंसराज का प्रस्तुत किया था। जिसमें दिनांक 16.6.15 को उक्त प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 166/15 का सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश दिया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था। जिसकी पालना में राजस्व कर्मचारियों ने पत्थरगढी करवा दी थी। इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने उक्त पत्थरगढी को उखाड दिया है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को मान्य न्यायालय हाजा के आदेश का उल्लंघन व अवमानना कारित करने के जुर्म में प्रत्येक को तीन–तीन माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण बाद तामिल उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। वकील प्रार्थी साक्ष्य हेतु रामप्यारी व हरिराम के शपथ–पत्र पेश किये है। जिनमें प्रस्तुत प्रा.पत्र का समर्थन करते हुये अप्रार्थीगण के खिलाफ कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है।

अ

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)निवाई

Scanned by CamScanner

बहस एकतरफा सुनी गयी। प्रस्तुत प्रा.पत्र का दोहरान करते हुये बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 166/15 रकबा 2–00 बीघा वाके ग्राम खण्डवा में स्थित है। अप्रार्थीगण की दखलन्दाजी के कारण प्रार्थीया ने एक वाद मान्य न्यायालय हाजा में मुकदमा नम्बर 66/13 रामप्यारी बनाम हंसराज का प्रस्तुत किया था। जिसमें दिनांक 16.6.15 को उक्त प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 166/15 का सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश दिया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था। जिसकी पालना में राजस्व कर्मचारियों ने पत्थरगढी करवा दी थी। इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने उक्त पत्थरगढी को उखाड दिया है। अतः अप्रार्थीगण को मान्य न्यायालय हाजा के आदेश का उल्लंघन व अवमानना कारित करने के जुर्म में प्रत्येक को तीन–तीन माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावे।

विद्वान वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा का मनन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना अप्रार्थीगण द्वारा की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित थानाधिकारी बरोनी को आदेश दिये जाते है कि न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री की पालना सुनिश्चित करावें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अ 24/1/19

हरिताभ कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

47E:\ACEM\Court\Faisle\T.I..docx2

Scanned by CamScanner